भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2706

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को सहायता

2706. श्री दुरई वाइकोः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों में किसानों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई, फसल विविधीकरण या जैविक खेती में सुधार लाने पर केंद्रित कोई विशेष योजनाएँ या पहल शुरू की हैं या लागू की हैं;

(ग) क्या तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में कृषि संबंधी बुनियादी ढाँचा जैसे शीत भंडारण इकाइयाँ, प्रसंस्करण केंद्रों, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) इन दोनों जिलों में किसानों को पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, पीएमकेएसवाई और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टिकाऊ और लाभदायक खेती सुनिश्चित करने के लिए तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में किसान कल्याण सुविधाएँ या कृषि-क्लस्टर स्थापित करने की भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार किसानों के कल्याण हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय क्षेत्रक के साथ-साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई जिलों सहित देश भर में सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध I** में संलग्न है। ये योजनाएँ कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पर केंद्रित हैं।

पीएम-किसान की 19वीं किस्त में पुदुकोट्टई जिले में 83,401 लाभार्थियों को 17.60 करोड़ रुपये और तिरुचिरापल्ली जिले में 1,03,607 लाभार्थियों को 21.96 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत, कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इन दोनों जिलों सहित तमिलनाडु में वर्ष 2024-25 के दौरान 40,38,150 केसीसी खातों में 55,120.96 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के अंतर्गत, जल दक्षता बढ़ाने के लिए, पीडीएमसी के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015-16 से तमिलनाडु को 2,953.38 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी/स्वीकृत की गई है। इस अवधि के दौरान, तमिलनाडु राज्य में इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कुल 12.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तिरुचिरापल्ली जिले में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र 21,506.58 हेक्टेयर और पुदुक्कोट्टई जिले में 19,401.62 हेक्टेयर है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत, किसानों के जोखिम न्यूनीकरण के लिए, 2020-21 से जून, 2025 तक के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

ज़िला	नामांकित आवेदन (संख्या में)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	बीमित - राशि	किसान शेयर	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित आवेदन (संख्या में)
पुदुकोट्टई	15,67,761	3.31	2,660.00	40.13	182.16	4,00,694
तिरुचिरापल्ली	7,61,923	1.85	1,396.75	27.44	181.95	2,99,159

सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2015-16 में इसकी शुरुआत के बाद से, तमिलनाडु राज्य को कुल 62.37 करोड़ रुपये (30.06.25 तक) जारी किए गए हैं, जिसमें 32940 हेक्टेयर क्षेत्र और 37886 किसान शामिल हैं। जिलेवार जानकारी का केंद्रीय स्तर पर रखरखाव नही किया जाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और कृषि में निवेश जुटाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) शुरू किया गया था। तमिलनाडु राज्य के लिए, 30 जून 2025 तक, एआईएफ के तहत 7,995 परियोजनाओं के लिए 2,691 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 3,708 करोड़ रुपये है। एआईएफ के तहत, तिरुचिरापल्ली जिले में 207 करोड़ रुपये की 324 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में 86 करोड़ रुपये की 193 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
6. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. एग्री फंड फॉर स्टार्ट-अप एंड रूरल एंटरप्राइज (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
14. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
16. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
20. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
27. राष्ट्रीय बांस मिशन
